राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक प. 12 (3)( ) राज/2008/ दिनांक अगस्त, 2008

संपरिवर्तन आदेश

श्री पूर्णमल पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति माली, निवासी ढ़ाणी बटियाला तन गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति मे धारित कृषि भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निचे दी गई है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पत्ता :	श्री पूर्णमल पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति माली, निवासी ढ़ाणी बटियाला तन गाडराटा, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा : (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	 ग्राम गाडराटा, ग्राम पंचायत गाडराटा, तहसील खेतड़ी खसरा संख्या 2887/394 रकबा 1.09 हैक्टेयर खसरा संख्या 2887/394 रकबा 1.09 हैक्टेयर में से 2800 वर्गमीटर
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलंग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान)
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :	चालान संख्या 53 दिनांक 04.08.08 राशि 14,000/– रूपये
6.	चालान की संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्टियों, यदि कोई हो :	नही

10.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :– (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत्त कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत्त हो जायेगा। (3) नियम –4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका / ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश / परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक प. 12 (3)( ) राज / 2008 / 3793-97 दिनांक 13 अगस्त, 2008

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी।
2. तहसीलदार, खेतड़ी।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत गाडराटा, तहसील खेतड़ी।
4. श्री पूर्णमल सैनी पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति माली, निवासी ढ़ाणी बटियाला तन गाडराटा तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
5. गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

116
15/02/2010

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

कमांक प12(3)( ) राज/07/ दिनांक फरवरी 2010

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक 3793-97 दिनांक 13.8.08 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. यह है कि आदेश की प्रथम पंक्ति तथा बिन्दू संख्या 1 में अंकित श्री पूर्णमल पुत्र गयारसीलाल जाति माली निवासी ढ़ाणी बटियाला तन गाडराटा के पश्चात अध्यक्ष बिहारीलाल संस्था गाडराटा पढा जावे।

उक्त संशोधन जमाबंदी में अंकित रिकार्ड के अनुसार किया गया है।

जिला कलेक्टर,
झुन्झुनू

कमांक/सम/ 486-89 दिनांक 9 फरवरी 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी।
2. तहसीलदार खेतड़ी।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुझुनू।
4. श्री पूर्णमल सैनी पुत्र श्री ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ढ़ाणी बटियाला तन गाडराटा तहसील खेतड़ी।
5. गार्ड फाईल

जिला कलेक्टर,
झुन्झुनू

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KHETRI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 30-09-2019 12:39 PM

Fee Receipt No	: 201902449001723	Receipt Date	: 30/09/2019
Name	: BIHARI LAL MAHAVIDHALYA SANSTHA MARFAT SEC.DOCTOR ASHOK KUMAR,	Document S. No.	: 201901449002576
Address	: 0 ,PARTIBHA NAGAR ,KHETRI ,JHUNJHUNU		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 58000	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 580	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 348	Stamp Duty	: ₹ 1740
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2968
		Total Amount	: ₹ 2968

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनु (राजस्थान)

प्रारूप–ख

(देखिए नियम–9 (3),(4) और (6))

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

क्रमांक :– राजस्व/2019/828-831 दिनांक :– 05/09/19

–: **संपरिवर्तन आदेश** :–

मिसल संख्या :–07/2019

बिहारीलाल महा विद्यालय संस्था गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) जरिये सचिव के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम–9 (घ) के अधीन अकृषिक प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचें दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम:	बिहारीलाल महा विद्यालय संस्था गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) जरिये सचिव
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जन जाति का सदस्य है ? (SC/ST)	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील/जिले का नाम:	गाडराटा/गाडराटा/खेतड़ी/झुंझुनूं
	(ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) :	ख. नं. 2887/394/2 रकबा 0.52 है.
	(ग) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में)	ख. नं. 2887/394/2 रकबा 0.52 है. सम्पर्ण अर्थात 5200 वर्गमीटर भूमि
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजनः	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर :	निमय–7 (4) के अनुरूप
6.	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम :	चालान संख्या 0009558288/221 दिनांक 12.02.2016 राशि 26000/– एवं चालान संख्या 23126992/13 दिनांक 28.05.2018 राशि 31930/– कुल राशि 57930/– रूपये
7.	चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :	नहीं
8.	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :	नहीं
9.	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिए नियम–13 के अधीन जारी किया गया है ?	नहीं
10.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

लगातार........2

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनू (राज.)

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

11.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :—
	1 उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 2 यदि आवेदक (इन नियमों के नियम–14 के अधीन विहित वह समयावधि या बढ़ाई गई समयावधि जो इन नियमों में विहित की गई हो) के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहत हो जायेगी। 3 नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा। 5 इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करेगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत् पहुंच मार्ग हेतु भूमि राजहक में समर्पण करनी होगी। 6 यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी। 7 राजस्व विभाग के परिपत्र प.6 (6) राज–6/92 पार्ट दिनांक 17–07–2007 तथा अग्निशमन हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 24–10–2007 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा। अग्निशमन सम्बन्धि सुरक्षा मानदण्डों की पालना की जावेगी। 8 कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू–भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा। 9 निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा। 10 राजस्व विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/शिक्षा विभाग व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक पूर्णतया बाध्य होगा। 11 आवेदक 3 माह के भीतर–भीतर उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनूं के यहां रूपान्तरण आदेश का पंजीयन करावें। 12 उपरोक्त सभी शर्तो की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा। शर्तो का उल्लघंन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
	टिप्पणी :— 1. अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है। 2. जारी रूपान्तरण आदेश में ले–आऊट प्लान/ब्लू प्रिन्ट नक्शा रूपान्तरण आदेश का भाग/पार्ट रहेगा। 3. प्रस्तावित भूमि के सहारे लगाते हुई भूमि को पूर्व में औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया हुआ है। 4. प्रचलित रास्ते में कोई भविष्य में अवरोध या विधिक अड़चन आने पर प्रार्थी वैकल्पिक मार्ग की अपने स्तर पर ही व्यवस्था करेंगें।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जि. झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक :— राजस्व/2019/ 828-831
दिनांक :— 05/09/19

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :—
1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (राजस्व) झुंझुनूं।
2. तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करने हेतु।
3. ग्राम पंचायत गाडराटा पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
4. बिहारीलाल महा विद्यालय संस्था गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) जरिये सचिव।

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जि. झुन्झुनू (राज.)

आंशिक नकल नक्शा ट्रेस - ग्राम - गाडराय
पटवार मण्डल - गाडराय
तहसील - खेतड़ी
जिला - झुंझुनू (राज)

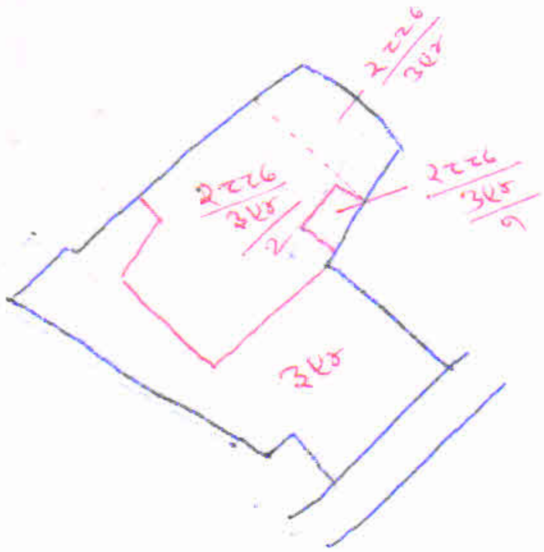

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

P35 क्रमांक 2047/02-02-16 पर नियमानुसार शुल्क लेकर नकल जारी की

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनूं (राज.)

तहसीलदार
तहसील खेतड़ी जि० झुन्झुनू राज०

02-02-16
पटवारी
गाडराय

नक्शा मौका लाल सूर्ख कृषि भूमि का शैक्षणिक रूपान्तरण बहक बिहारीलाल महाविधालय संस्था गाडराटा जरिये

सचिव ....

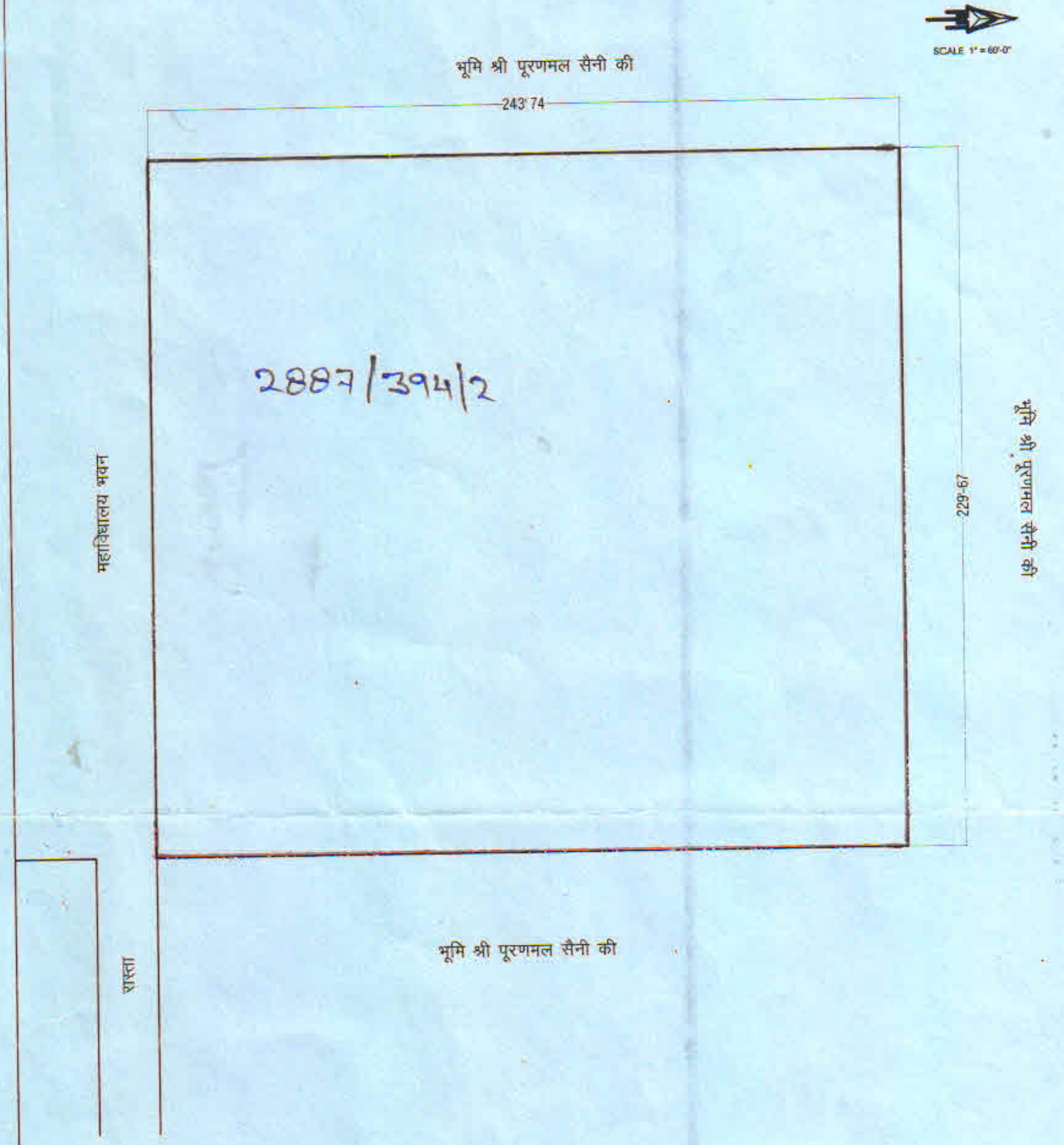

रकबा भुमि –

	पुर्व	औसत	पश्चिम	उतर	औसत	दक्षिण
{1}	243'-74"	243'-74"	243'-74"	229'-67"	229'-67"	229'-67"

क्षेत्रफल

= {1} 243'-74" X 229'-67" =55979.14 Sq.Ft

= 6219.905 Sq. Y. OR = 5200.46 Sq. M.

say 5200 .00 Sq.M.

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनूं (राज.)

सचिव
बिहारीलाल महाविद्यालय संस्था
गाडराटा तह० खेतड़ी (झुन्झुनू)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु 50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

TREASURY OFFICE KHETRI (JJN)

09 AUG 2018

राजस्थान RAJASTHAN

AC 468343

सपरिवर्तन आदेश (पट्टा) रजिस्ट्रेशन

जिस विभाग द्वारा जारी किया गया उसका नाम :–

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी जिला झुझुनूं राजस्थान ।

बहक

जिसके पक्ष मे जारी हुआ उसका नाम :–

बिहारीलाल महा विधालय संस्था गाडराटा तहसील खेतडी जिला झुंझुनुं राजस्थान जरिये सचित डा0 अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति माली उम्र 33 वर्ष निवासी प्रतिभानगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनुं राजस्थान।

For Biharilal Mahavidhyalya Sanstha
SECRETARY

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

लगातार...........2............

2

सम्पति का विवरण :–

स्थित ग्राम गाडराटा तहसील खेतडी के जमाबंदी खसरा नम्बर 2887/394/2 रकबा 0.5200 या 5200 वर्ग मीटर का कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी जिला झुझुनूं राजस्थान द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण अर्थात संपरिवर्तन आदेश का रजिस्ट्रेशन ।

लगातार ....3...........

For Biharilal Mahavidhyalya Sanstha
SECRETARY

उपपंजीयक खेतडी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

Presentation Endorsement

आज दिनांक 30 माह 09 सन् 2019 को 12:32 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BIHARI LAL MAHAVIDHALYA SANSTHA MARFAT SEC.DOCTOR ASHOK KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GYARSI LAL
उम्र 33 वर्ष, जाति MALI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:0, Colony: PARTIBHA NAGAR, Area: PARTIBHA NAGAR , City: KHETRI , Pin code: 333501, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201901449002576

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
KHETRI

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201902449001723
दिनांक	30-09-2019
पंजीयन शुल्क ₹	580
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1740
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	348
कुल योग	2968

201901449002576

उप पंजीयक, KHETRI

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Endorsement of Execution

जो कि स्थित ग्राम गाडराटा तहसील खेतडी के जमाबंदी खसरा नम्बर 2887/394/2 रकबा 0.5200 या 5200 वर्ग मीटर का कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी जिला झुझुनूं राजस्थान द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण रूपान्तरण बिहारीलाल महा विधालय संस्था गाडराटा तहसील खेतडी जिला झुंझुनुं राजस्थान जरिये सचित डा0 अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति माली उम्र 33 वर्ष निवासी प्रतिभानगर तहसील खेतडी जिला झुंझुंनुं राजस्थान के नाम जरिये संपरिवर्तन आदेश कमांक राजस्व /2019/ 828-831 दिनांक 05/09/2019 है जिसकी राशि 57930 रूपये जरिये चालान संख्या 23126992/13 दिनांक 28/05/2018 से रूपांतरण शुल्क जमा हो चुका है। जिस बाबत 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन संलग्न है।

हस्ताक्षर

For Biharilal Mahavidhyalya Sanstha

SECRETARY

उपपंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SDO KHETRI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SDO KHETRI, व्यवसाय जाति Anya Sarkari Upkram			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BIHARI LAL MAHAVIDHALYA SANSTHA MARFAT SEC.DOCTOR ASHOK KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GYARSI LAL, व्यवसाय Businessजाति MALI House No.:0, Colony: PARTIBHA NAGAR, Area: PARTIBHA NAGAR , City: KHETRI , Pin code: 333501, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 33 Signature :

ने लेख्यपत्र Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 58000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 58000/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री KISHAN LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHATA RAM जाति MALI Age: 50 Add: House No.:0, Colony: SANJAY NAGAR, Area: SANJAY NAGAR, City: KHETRI , Pin code: 333503, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature किशनलाल
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR SAINI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री CHOTH MAL SAINI जाति MALI Age: 27 Add: House No.:0, Colony: KHETRI, Area: KHETRI, City: KHETRI , Pin code: 333503, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN		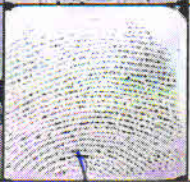	Signature Rakesh

201901449002576

उप पंजीयक, KHETRI

उप पंजीयक खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

नोट :– इस दस्तावेज मे यह अण्डर टेंकिग देते है कि भविष्य मे इस दस्तावेज की प्रति अस्पष्ट एव अपठनीय होने पर पंजियन विभाग की कोई जुम्मेवारी नही जोगी ।

For Biharilal Mahavidhyalya Sanstha

SECRETARY

दिनांक :– 30 / 09 / 2019

हस्ताक्षर

साक्षी 1. श्री किशन लाल पुत्र श्री भाताराम सैनी जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी संजयनगर ढाणी चाचावाली तहसील खेतडी जिला झुंझुनुं राजस्थान ।

किशनलाल

साक्षी 2. श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री चौथमल सैनी जाति माली उम्र 27 वर्ष निवासी खेतडी जिला झुंझुनुं राजस्थान । Rakesh

नोट :–इस दस्तावेज मे लगभग 25 लाईन व 250 शब्द है लेखक सुरेन्द्र कुमार सैनी डीडराईटर खेतडी व रजि0संख्या 549 पर दर्ज किया गया है।

लेखक

सुरेन्द्र कुमार सैनी डीडराईटर खेतडी

उपपंजीयक खेतडी

जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

Registration Endorsement

आज दिनांक 30/09/2019 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 286 में
पृष्ठ संख्या 90 क्रम संख्या 201903449101873 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 798 के
पृष्ठ संख्या 508 से 519 पर चस्पा किया गया ।

201901449002576

उपपंजीयक खेतड़ी
उप पंजीयक, KHETRI
जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.